

फर्द अहकाम

बनाम

राजलाल

लय

68/2023

विशेष

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
9/24	पत्रावली आज दिनांक 21/9/24 को पेश हुई। दि डिस्ट्रिक्ट एड. वार एसो. जयपुर द्वारा कन्डोलेंस की जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/9/24 को पेश हो।	
25/24	पत्रावली आज दिनांक 25/9/24 को पेश हुई। पीठासीन अधिकारी आज अवकाश पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16/10/24 को पेश हो।	
16/10/24	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता वकील उपरि उक्त फर्द के रिपोर्ट पर क्वेश्चन के डेट सभ्य चाय। न्यायस्थ के एक कौन्सिलर द्वारा लिखा है कि.ता. चेरी पर क्वेश्चन के पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाएगा। पत्रावली वस्तु क्वेश्चन दिनांक 28/10/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर	
28/10/24	पत्रावली पेश हुई। व. फ. उप., पत्रावली साबिक आगे 16/10/24 अनुसार आगामी पेशी दिनांक 12/11/24 को पेश हो।	
12/11/24	पत्रावली आज दिनांक 12/11/24 को पेश हुई। दि डिस्ट्रिक्ट एड. वार एसो. जयपुर द्वारा कन्डोलेंस की जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/11/24 को पेश हो।	
18/11/24	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता वकील उपस्थित। तदधीनकार की रिपोर्ट पर क्वेश्चन चुनी गई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तदधीनकार जयपुर - उपरि द्वारा क्वेश्चन के क्वेश्चन	



फर्द अहकाम

शैकलाल बनाम शकुलाल

नाम न्यायालय

केस संख्या 68/2351/9

द्वय

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही
		<p>किया है कि वादी वाड पत्र में बंधनकारा नहीं चाहता है। चूंकि वाड पत्र बंधनकारा का है तथा वादी ने बंधनकारा से इंकार किया है वाड कारण स्वतः समाप्त हो चुका है अतः वाड पत्र का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में वाड वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फिल शुभ होकर दायिका फल है।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर</p>	